

फर्द अहकाम

(नियम 13)

20

अज अदालत तहसीलदार / नायब तहसीलदार सिणधरी तहसील सिणधरी

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी

बनाम

श्री... समजुनाथ

हलका... निबल्यकर

पुत्र श्री... प्रजुननाथ ...जाति जोगी

निवासी... निबल्यकर

किस्म मुकदमा धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 मु.नं. 20 / वर्ष 2020

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाहीमय इनिशियलस जज	हुकम और तारीख तामिल की
10-7-2020	<p>पटवारी हलका <u>निबल्यकर</u> ने रिपोर्ट पेश कर सूचित किया कि उक्त अप्रार्थी ने संवत् <u>2017</u> में मौजा <u>निबल्यकर</u> के खसरा नंबर <u>348</u> रकबा <u>10,000 वर्ग फीट</u> किस्म भूमि <u>3/8 मु</u> पर नाजायज अतिक्रमण कर काशत व कब्जा किया है, अतः राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक <u>29-7-2020</u> को बमुकाम सिणधरी में पेश हों।</p> <p style="text-align: right;">तहसीलदार सिणधरी जिला-बाड़मेर</p>	
29-7-2020	<p>पत्रावली प्राप्त पेश हुई। गैरसायल को पाले सिणधरी उपस्थित। गैरसायल को जवाब देते अवतरति जाकर पत्रावली दिनांक 13-8-2020 को प्रस्तुत हो।</p> <p style="text-align: right;">तहसीलदार सिणधरी जिला-बाड़मेर</p>	

13-8-2020

पत्रावली भाण पेश हुई। गौर साजल
अनुपस्थित। पटवारी हल्का अनुपस्थित।
पत्रावली दिनांक 26-8-2020 को पेश हो।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-वाड़मेर

26-8-2020

पत्रावली भाण पेश हुई। गौर साजल
अनुपस्थित। पटवारी हल्का उपस्थित।
गौर साजल को अतिक्रम चोषित करने
हुए पत्रावली फेसल सुमार हो।
निर्णय सुले न्यायालय के सुनाया गया
निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल
पत्रावली हो। पत्रावली फेसल सुमार
होकर दाखिल इफतार हो।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-वाड़मेर

प. निम्बलकोर